policy measures for promoting and strengthening small, tiny and village industries by providing infrastructural support, excise benefits and marketing assistance through reservation of items for exclusive production in this sector.

**उत्तर प्रदेश में शिक्षित बेरोजगार**

1940. **श्री ईश दत्त यादव:** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में इंजीनियरी स्नातकों डिप्लोमाधारी इंजीनियरों और आई०टी० आई० प्रमाण-पत्र-धारियों की क्रम-वार संख्या कितनी-कितनी है, और

(ख) सरकार ने उन्हें रोजगार उपलब्ध कराने के लिये क्या कदम उठाए हैं ?

**श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा)** : (क) अनुप्रयुक्त श्रम शक्ति अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली द्वारा तैयार किए गए अनुमानों के अनुसार वर्ष 1991 में उत्तर प्रदेश में अभियान्त्रिकी में उपाधि व डिप्लोमाधारी बेरोजगारों की कुल संख्या क्रमशः 971 और 7538 थी । आई०टी० आई० प्रमाण-पत्र-धारकों के लिए ऐसे अनुमान उपलब्ध नहीं है । लेकिन 31 दिसंबर, 1991 तक उत्तर प्रदेश में रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत आई०टी०आई० प्रमाण-पत्र धारकों की कुल संख्या, जिनमें आवश्यक नहीं कि सभी बेरोजगार हों, 136 0 हजार थी ।

(ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना में रोजगार पर विशेष बल दिया है । योजना में ऐसे सैक्टरों, सब-सैक्टरों तथा क्षेत्रों की तीव्रतर वृद्धि सहित आर्थिक विकास की उच्च दर की आवश्यकता पर बल दिया गया है जिनमें रोजगार सृजन की गति को बढ़ाने के लिए अपेक्षाकृत उच्च रोजगार संभाव्यता है । भौगोलिक रूप से तथा फसलवार विविधीकृत कृषि विकास, बंजर भूमि तथा वानिकी का विकास, ग्रामीण गैर कृषि क्षेत्र तथा ग्रामीण मूलभूत सुविधाओं का विकास, लघु तथा विकेन्द्रीकृत विनिर्माण की तीव्रतर वृद्धि तथा आवास का विस्तार योजना में परिकल्पित रोजगारोन्मुख विकास नीति के मूल तत्व हैं । इससे बेरोजगार इंजीनियरों तथा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के प्रमाण-पत्र धारकों को भी रोजगार प्राप्त करने में सहायता मिलेगी ।

**Extension of Existing Labour Laws to Khadi and Village Industries Sector**

1941. SHRI SURESH PACHOURI : Will the Minister of LABOUR be pleased to state :

(a) whether Government propose to extend the existing labour laws meant for commercial and profit-making organisations to the Khadi and Village Industries Sector also ;

(b) if so, whether Government have decided to appoint a High Powered Committee under the Chairmanship of Prime Minister to examine the various issues in this regard ;

(c) if so, by when the Committee is likely to submit its report ; and

(d) whether views of the State Governments have also been taken into consideration ?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF LABOUR (SHRI P.A. SANGMA) : (a) No, Sir. There is no proposal to further extend applicability of labour laws specially to Khadi and village Industries Sector beyond present coverage.

(b) to (d) Do not arise.

**बाल श्रम अधिनियम को कार्यान्वित किया जाना**

1942. **श्री गोपाल सिंह जी० सोंलकी :** क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कुछ राज्य सरकारें बाल श्रम (प्रतिषेध